रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2051] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939
No. 2051] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2017

का.आ. 2316(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

तालिका में, दक्षिण क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, तमिलनाडु के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 13 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"13.	**टीए लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई** पंजीकरण संख्या. 9/एस/एफएसएसएआई/2014 नं. 270 क और 270 ख, बर्मा कालोनी, 4 मेन रोड, पेरुंगुड़ी, चेन्नई–600096	रासायनिक जैविक"।

[फा. सं. 12015/02/2017-क्यू.ए. (भाग-I)]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 3648(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन हुआ :

(i) का.आ. 567(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;

(ii) का.आ. 1595(अ), दिनांक 15 मई, 2017; और

(iii) का.आ. 1965(अ), दिनांक 20 जून, 2017 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2017

S.O. 2316(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 3648(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:—

In the table, in 'C' related to SOUTHERN REGION, under Tamil Nadu, for serial number 13 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely:—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"13.	**TA Labs Private Limited, Chennai** Reg. No. 9/S/FSSAI/2014 No. 270 A & 270 B, Burma Colony, 4th Main Road, Perungudi, Chennai–600 096	Chemical Biological"

[F. No. 12015/02/2017-QA (Pt-I)]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification No. S.O. 3648(E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers:

(i) S.O. 567(E), dated the 20th February, 2017;

(ii) S.O. 1595(E), dated the 15th May, 2017; and

(iii) S.O. 1965(E), dated the 20th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.26 11:58:01 +05'30'